



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239290
CG-DL-E-03102022-239290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 236]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

जांच शुरूआत

[मामला संख्या: एडी (ओआई) 11/2022]

विषय: चीन जन.गण. और ओमान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कम से कम एक तरफ से लेमिनेशन के साथ जिप्सम बोर्ड/टाइलों" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/11/2022-डीजीटीआर.—(1) समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि. (इसके बाद इसे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. और ओमान (इसके बाद इन्हें "संबद्ध देश" के रूप में भी

कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कम से कम एक तरफ से लेमिनेशन के साथ जिप्सम बोर्ड/टाइलों (इसके बाद इन्हें “संबद्ध वस्तुएं” अथवा “विचाराधीन उत्पाद ” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का पाटन होने के कारण भारत में घरेलू उद्योग, जिसने अक्टूबर, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, की स्थापना को वास्तविक क्षति हो रही है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि उद्योग और विचाराधीन उत्पाद शुरूआती अवस्था में हैं। इसके अलावा, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि यद्यपि, उन्होंने अक्टूबर, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादक शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक बाजार में स्थान हासिल नहीं हो पाया है।
3. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक क्षति होने के कारण है। यह उचित होगा कि घरेलू उद्योग के अनुमानित कार्य निष्पादन की तुलना, आयातों की कीमत को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अथवा संभावित कार्य निष्पादन के साथ की जाए। संयंत्र की स्थापना करने से पूर्व आवेदक द्वारा तैयार की गई एक परियोजना रिपोर्ट याचिका के साथ प्रस्तुत की गई है। इस पर याचिका के गुण-दोषों का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से विचार किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद “कम से कम एक तरफ से लेमिनेशन के साथ जिप्सम बोर्ड/टाइल” है। संबद्ध वस्तुएं पीवीसी जिप्सम टाइलों, जिप्सम सीलिंग टाइलों, सीलिंग टाइलों आदि के रूप में भी जानी जाती हैं। आम तौर पर, पीवीसी, वेक्स पेपर और अन्य ऐसी ही सामग्रियों का प्रयोग, एक तरफ से लेमिनेशन करने के लिए किया जाता है। नमी को रोकने के लिए आवश्यक होने पर दूसरी तरफ से लेमिनेशन के लिए मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म जैसी सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती हैं।
5. संबद्ध वस्तुएं पर्यावरण के अनुकूल, भार में हल्की, उच्च स्तर की सुन्दर व आकर्षक हैं, जो अग्निरधी भी हैं। संबद्ध वस्तुएं मुख्य रूप से आडिटोरियमों, सम्मेलन कक्षों और शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, बुटिक, दुकानों, वाणिज्यिक तथा रिहायशी भवनों आदि में सीलिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इसका प्रयोग भीतरी दीवारों के लिए कवरींग सामग्री के रूप में भी किया जाता है। संबद्ध वस्तुएं मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली हैं।
6. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 6806 9000, 6808000, 68091100, 68091900, 68099000 के तहत अध्याय 68 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, आवेदक ने दावा किया है कि कुछ आयात कस्टम टैरिफ के तहत भी किए गए हैं। शीर्षक 70195900 और 73083000 कस्टम वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विनिर्देशनों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, कीमत वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के साथ तुलनीय हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तुओं” के रूप में मानी जा रही हैं।

संबद्ध देश

8. यह याचिका चीन जन.गण. और ओमान से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दाखिल की गई है।

जांच की अवधि

9. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पी ओ आई) के रूप में दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि पर विचार किया है। क्षति अवधि में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि शामिल होगी।

घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा.लि. ("एसजीआईपीएल") द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है। आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उन्होंने उत्पादन की शुरुआती अवस्था होने के कारण, भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और ये आयात आवश्यक थे, क्योंकि आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया था। आवेदक ने यह कहा है कि उन्होंने अक्टूबर, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की थी। यह भी कहा जाता है कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद, आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक ने यह भी कहा है कि वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों अथवा भारत आयातकों से संबद्ध नहीं हैं। अतः आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे में माना जाना चाहिए।
11. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक भी हैं। तथापि, आवेदक द्वारा दाखिल की गई सूचना के अनुसार, उन्होंने जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि आवेदक के पास भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों का 100 प्रतिशत हिस्सा है।
12. यह विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग वर्तमान मामले में शुरुआती अवस्था में है और यह कि आवेदक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा किए जाने के बाद और जांच की अवधि में कोई भी आयात नहीं किए हैं। यह कि आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा है, अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि आवेदक, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग है और याचिका, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार की अपेक्षा को पूरा करती है।

चीन.जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था मौजूद है, उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। इस संबंध में, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि वे सामान्य मूल्य के प्रयोजन से कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे। अतः आवेदक ने उत्पादन की लागत को विधिवत समायोजित करके और एक तर्कसंगत मार्जिन के साथ, इस संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित करने का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने, जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में आवेदक के दावों को स्वीकार किया है।

ओमान के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि उसने इन देशों में प्रत्यक्ष बिक्री मूल्य के आधार पर ओमान के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया था, लेकिन इसके लिए कोई सबूत नहीं मिला और चूंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई समर्पित कोड नहीं हैं। ओमान से अन्य देशों को निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसलिए, आवेदक ने सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर, विधिवत समायोजित, और उचित मार्जिन के साथ, उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, ओमान के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए ओमान के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार कर लिया है।

निर्यात कीमत

15. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत, द्वितीयक स्रोत आंकड़ों में सूचित सीआईएफ कीमत पर विचार करते निर्धारित की गई है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभारों, स्वदेशी मालभाड़ा और कमीशन के संबंध में कीमत का समायोजन किया गया है। जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की, कारखाना बाह्य स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है।

भौतिक मंदता, क्षति और कारणात्मक संबंध

17. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह प्रारंभिक अवस्था में है और इस विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर, 2020 में शुरू किया गया था और उद्योग की स्थापना के लिए भौतिक मंदता रही है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है जिसने घरेलू उद्योग को वास्तविक रूप से मंद कर दिया है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि भौतिक मंदता / क्षति मौजूद है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है जिससे घरेलू उद्योग की स्थापना में और बाधा आई है।
18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, इस विषय से उत्पन्न या निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के पाटन के बारे में देश, घरेलू उद्योग के लिए भौतिक मंदता / क्षति और इस तरह के कथित पाटन और भौतिक मंदता / क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, और नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकरण, एतद्वारा, यह निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू करते हैं। संबद्ध देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी कथित पाटन का अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाता है, तो सामग्री की कमी/क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, घरेलू उद्योग को।

प्रक्रिया

19. नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का, वर्तमान जांच के लिए अनुसरण किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फार्मेट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हों।
21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ड. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर। तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाला नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा, जिस दिन इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या इसे प्रेषित किया गया था। निर्यातक देश का उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dgtr.gov.in को, इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए नियमित रूप से देखते रहें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल से भेज दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी।

असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

INITIATION

[Case No. AD (OI) -11/2022]

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side” originating in or exported from China PR, and Oman-reg.

F. No. 6/11/2022 –DGTR.—(1) Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), M/s Saint Gobain India Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner") has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") seeking imposition of anti-dumping duty on the imports of Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or "PUC") originating in or exported from China PR and Oman (hereinafter also referred to as the "subject countries"), citing the preliminary reason of material retardation.

2. The applicant has alleged that the dumping of the product under consideration from the subject countries is materially retarding the establishment of the domestic industry in India which started commercial production in October, 2020. The applicant has submitted that the industry and the product under consideration are at a nascent stage. Further, the applicant has submitted that although they commenced production in October, 2020, they have not been able to find a place in the market yet.
3. The present petition being that of material retardation to the establishment of the domestic industry, it would be appropriate to compare the projected performance of the domestic industry with the present or the potential performance, considering the price of the imports. A project report, which was prepared by the applicant before the plant was set up, has been submitted with the petition. The same has been considered for the purpose of evaluating the merits of the petition.

A. Product under consideration

4. The product under consideration for the present investigation is "Gypsum Board / Tiles with lamination at least on one side". The subject goods are also known as PVC Gypsum Tiles, Gypsum Ceiling Tiles, Ceiling Tiles, etc. Typically, PVC, Wax Paper and other similar materials are used for lamination on one side. Materials such as Metalized Polyester Film are used for lamination on the other side essentially to prevent moisture.
5. The subject goods are environmental friendly, lightweight, high-quality decorative ceiling tiles that are also fire resistant. The subject goods are predominantly used for ceilings in auditoriums, conference rooms, educational institutes, offices, boutiques, shops, commercial and residential buildings, etc. The subject goods also used as a covering material for interior walls. The subject goods are strong and long-lasting.
6. The applicant has submitted that the product under consideration is classified under Chapter 68, under sub heading 6806 9000, 6808000, 68091100, 68091900, 68099000 of Customs Tariff Act, 1975. However, the applicant has claimed that some imports are also made under custom tariff heading 70195900 and 73083000. The custom classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

B. Like article

7. The applicant has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are the like articles to the subject goods originating in or exported from the subject countries. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the domestic industry and those exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigation, the subject goods

produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Subject countries

8. The petition has been filed in respect of the dumped imports of the product under consideration from China PR and Oman.

D. Period of investigation

9. The Authority has considered 1st April, 2021 to 31st March, 2022 as the period of investigation (POI). The injury period will cover the periods 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the period of investigation.

E. Domestic industry and standing

10. The application has been filed by M/s Saint Gobain India Pvt. Ltd. ("SGIPL"). The applicant has provided all the necessary information for the purpose of the present investigation. It is submitted by the applicant that they are in the nascent stage of production, and had imported the product under consideration in India before the commencement of commercial production and these imports were necessitated as the applicant had not commenced commercial production of the subject goods. The applicant has stated that it had declared the commercial production in October, 2020. It is further stated that post commencement of commercial production, the applicant has not imported the subject goods. The applicant has also stated that it is not related to the exporters of the subject goods from the subject countries or the importers in India. The applicant has, therefore, requested that it may be considered within the scope of the domestic industry.
11. The applicant has submitted that there are other producers of the subject goods in India. However, according to the information filed by the applicant, they had not started commercial production during the POI. From the information available on record, it is noted that the applicant accounts for 100% of the domestic production of the like article in India.
12. Considering that the domestic industry in the present case is at a nascent stage and that no imports have been made by the applicant after it declared commercial production and in the POI and that the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production in India, the Authority is of the view that the applicant constitutes the domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the petition satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

F. Normal value for China PR

13. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules. In this regard, the applicant has submitted that they were not able to get any reliable information for the purpose of the normal value. The applicant has, therefore, proposed to construct the normal value for China PR on the basis of the best available information, having regard to the cost of the production duly adjusted, and with a reasonable margin. The Authority, for the purpose of the initiation of the investigation, has accepted the claim of the applicant in respect of the determination of the normal value for China PR.

G. Normal value for Oman

14. The applicant has claimed that it had made efforts to determine the normal value for Oman on the basis of the direct selling price in these countries but was not able to find any evidence for the same and since there are no dedicated codes for the product under consideration, it is not possible to determine the normal value based on the exports from Oman to other countries. The applicant has, therefore, proposed to construct the normal value for Oman on the basis of the best available information, having regard to the cost of the production duly adjusted, and with reasonable margin. The authority, for the purpose of the initiation of the investigation, has accepted the claim of the applicant in respect of the determination of the normal value for Oman.

H. Export price

15. The applicant has computed the export price of the subject goods by considering the CIF price reported in the secondary source data. The price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission. The export price claimed by the applicant is prima facie acceptable for the purpose of initiation of the investigation.

I. Dumping margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and significant in respect of the product under consideration from the subject countries.

J. Material Retardation, Injury and Causal link

17. The domestic industry has claimed that it is at the nascent stage and the commercial production of the PUC was started in October, 2020 and there has been material retardation to the establishment of the industry. The information furnished by the domestic industry has been considered for assessment of injury which has materially retarded the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the material retardation/injury exists and is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries which further hampered the establishment of the domestic industry.
18. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, material retardation/injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and material retardation/injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the material retardation/injury to the domestic industry.

K. Procedure

19. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

L. Submission of information

20. In view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
21. The known exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned above.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

M. Time-limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

N. Submission of information on a confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “nonconfidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as

nonconfidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

35. A list of all registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global Covid-19 pandemic.

P. Non-cooperation

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority